ए.

अरुना ओसवाल

वी.

पंकज ओस्वाल और ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 9340)

बी.

06 जुलाई, 2020

[अरुण मिश्रा और एस**.** अब्दुल नजीर**,** जे**.** जे**.]**

कम्पनी अधिनियम, 2013-ss.241 और 242-उत्तरदाता सं। 1 ने अपने पिता की संपत्ति/शेयरों के एक-चौथाई हिस्से की पात्रता का दावा करते हुए एक विभाजन मुकदमा दायर किया-उच्च न्यायालय ने पक्षों के बीच यथास्थिति का निर्देश दिया और उक्त मुकदमा लंबित है-इसके बाद, प्रतिवादी नं। 1 ने प्रत्यर्थी सं. 1 के मामलों में उत्पीड़न और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कंपनी याचिका दायर की। 2 कंपनी और 0.03% शेयरधारिता के धारक होने और प्रतिवादी संख्या की 9.97% शेयरधारिता से वैध अपेक्षा के आधार पर याचिका को बनाए रखने की पात्रता का दावा किया। 2 कंपनी-एन. सी. एल. टी. ने याचिका को बनाए रखने योग्य और प्रतिवादी नं. 1 कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में संपत्ति/शेयरों के एक-चौथाई हिस्से का हकदार था-NCLAT ने NCLT द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाःयाचिका का आधार एक-चौथाई हिस्सेदारी की विरासत के रूप में दावा है ताकि हिस्सेदारी का 10 प्रतिशत हो, जिसका अधिकार यू/एस की कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता है।241/242 अधिनियम-प्रत्यर्थी सं। 1 को सिविल न्यायालय के समक्ष विरासत के अपने अधिकार को दृढ़ता से स्थापित करना होगा, जिस हद तक वह शेयरों का दावा कर रहा है-प्रत्यर्थी सं। 1 का कंपनी के मामलों से कोई लेना-देना नहीं था और वह एक पंजीकृत मालिक नहीं है-प्रत्यर्थी सं. 1 दीवानी मुकदमे में संरक्षित हैं-प्रतिवादी सं। 1 कंपनी में अपेक्षित प्रतिशत शेयर रखने वाले शेयरधारकों के निकाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जो इस तरह की याचिका को बनाए रखने के लिए आवश्यक है-सिविल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को देखते हुए प्रतिवादी संख्या के नाम पर शेयरधारिता का इलाज करना उचित नहीं होगा। 1 एन. सी. एल. टी. द्वारा स्वामित्व अधिकारों का अंत में दीवानी मुकदमे

में निर्णय लेने से पहले-इसलिए, उत्पीड़न और कुप्रबंधन यू/एस के संबंध में एन. सी. एल. टी. के समक्ष दायर कार्यवाही।241/242 अधिनियम को हटाने का निर्देश दिया जाता है-एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

476 ए.

477

ए. आर. यू. एन. ए. ओसवाल बनाम पनकाज ओसवाल और ओ. आर. एस.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** मान लीजिए, प्रत्यर्थी संख्या **1** के पास कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **244** के तहत निर्धारित **10** प्रतिशत की पात्रता सीमा तक शेयर नहीं हैं, ताकि धारा **241** और **242** के तहत आवेदन बनाए रखा जा सके।उन्होंने प्रत्यर्थी संख्या में **0.03%** की हिस्सेदारी खरीदी है। **2** कंपनी जून **2017** में दीवानी मुकदमा दायर करने के बाद और शेष **9.97%** विवाद में है, वह अपने कानूनी प्रतिनिधि होने के आधार पर दावा कर रहा है।प्रत्यर्थी नं**. 16** कंपनी, मृतक की हिस्सेदारी **11.11%** थी, जिसमें से एक-चौथाई हिस्से का दावा प्रतिवादी संख्या **1** द्वारा किया जाता है।मान लीजिए, विभाजन के लिए एक दीवानी मुकदमे में, वह मृतक द्वारा रखे गए शेयरों में एक चौथाई तक के अधिकार का भी दावा कर रहा है।प्रत्यर्थी के अधिकार के बारे में प्रश्न सं।**1** दीवानी मुक़दमे में अंत में न्यायनिर्णयन की आवश्यकता होती है, जिसमें यह भी शामिल है कि उसकी माँ के पक्ष में नामांकन का क्या प्रभाव पड़ता है कि क्या पूर्ण अधिकार, अधिकार और हित नामित व्यक्ति में निहित है या नहीं, अंततः उक्त मुक़दमे में निर्धारित किया जाना है।दीवानी मुक़दमे में निर्णय अधिकार, स्वामित्व या ब्याज के सवाल पर पक्षों के बीच बाध्यकारी होगा।यह विभाजन के मुकदमे में संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व और हित निर्धारित करने के लिए एक दीवानी अदालत का क्षेत्र है।**[पैरा 20] [491-**एच**] [492-**ए-सी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

2. यह प्रत्यर्थी सं**.** द्वारा स्वीकार किया जाता है।**1** कि वह कंपनी के दिन**-**प्रतिदिन के मामलों में शामिल नहीं थे और **2001** में अपना स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए थे।**[**पैरा **21] [492-**जी**]3.** याचिका का आधार एक चौथाई हिस्सेदारी की विरासत के रूप में दावा है ताकि हिस्सेदारी का **10** प्रतिशत हो**,** जो अधिकार अधिनियम की धारा **241/242** के तहत कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार**,** छूट की मांग करने वाली धारा **241** और **242** के तहत याचिका दायर करना एक गलत धारणा है**,** सबसे पहले**,** प्रत्यर्थी नं।**1** कंपनी अधिनियम**, 2013** की धारा **71** में निहित प्रावधानों के अनुसार किए गए नामांकन को ध्यान में रखते हुए**,** उसे सिविल अदालत के समक्ष विरासत के अपने अधिकार को दृढ़ता से स्थापित करना होगा**,** जिस हद तक वह शेयरों का दावा कर रहा है।**[**पैरा **22] [493-**एफ**-**जी**]**

एफ.

जी.

4. तत्काल मामले में**,** यह न्यायालय संतुष्ट है कि प्रत्यर्थी नं।**1,** जैसा कि उसके द्वारा अनुरोध किया गया था**,** उसका मामलों से कोई लेना**-**देना नहीं था

एच.

ए.

कंपनी और वह पंजीकृत मालिक नहीं है।प्रत्यर्थी सं**.** की संपत्ति/शेयरों में अधिकार**,** यदि कोई हो।**1** दीवानी मुक़दमे में संरक्षित हैं।इस प्रकार**,** हम संतुष्ट हैं कि प्रत्यर्थी नहीं।**1** कंपनी में अपेक्षित प्रतिशत शेयर रखने वाले शेयरधारकों के निकाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है**,** जो ऐसी याचिका को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।**[**पैरा **24] [495-**डी**-**ई**]**

बी.

5. तथ्यों और परिस्थितियों में**,** प्रत्यर्थी संख्या **1** को धारा **241** और **242** के तहत शुरू की गई कुप्रबंधन की कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना उचित नहीं होगा**,** वह भी **10** प्रतिशत हिस्सेदारी के अभाव में और दीवानी कार्यवाही में अपने अधिकारों को दृढ़ता से स्थापित करने के अभाव में**,** जिस हद तक वह कंपनियों की हिस्सेदारी में दावा कर रहा है। **[**पैरा **26] [496-**सी**-**डी**]**

सी.

संग्रामसिंह पी. गायकवाड़ और ओआरएस. वी.एल. आर. और अन्य के माध्यम से शांतादेवी पी. गायकवाड़ (मृत)। **(2005) 11** एससीसी **314:[2005] 1** एससीआर **624;** मेसर्स डेल एंड कैरिंगटन प्राइवेट लिमिटेड(पी) लिमिटेड और एन. आर. बनामपी. के. प्रतापन और अन्य। आकाशवाणी **2005**

डी.

एससी 1624:[2004] 4 पूरक।एस. सी. आर. 334; जे. पी. श्रीवास्तव और

सन्स प्राइवेट लिमिटेड और ओआरएस बनाममेसर्स ग्वालियर शुगर कं. लि.

और ओआरएस। आकाशवाणी 2005 एससी 83:[2004] 5 पूरक।एस. सी. आर. 648-निर्भर।

ई.

विशिन एन. खानचंदानी और अन्र बनामविद्या लच्मंडस

खानचंदानी और अन्र। (2000) 6 एससीसी 724:[2000] 2 पूरक।एससीआर 415-प्रतिष्ठित।

वर्ल्ड वाइड एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाममार्गरेट टी.

डेसर और ओआरएस। (1990) 1 एससीसी 536:[1989] 2 पूरक।एससीआर

एफ.

545; श्रीमती. सरबती देवी और अन्र बनामश्रीमती. उषा देवी**, (1984)**

1 एससीसी 424:[1984] 1 एससीआर 992; राम चंदर तलवार

& एन. आर. वी.देवेंद्र कुमार तलवार और अन्य। **(2010) 10**

एससीसी **671:[2010] 11** एस. सी. आर**. 897-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

जी.

[1989] 2 पूरक।एस. सी. आर**. 545** पैरा **11 [1984] 1** एस. सी. आर**. 992** पैरा **13 [2000] 2** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस. सी. आर**. 415** विशिष्ट पैरा **13 [2010] 11** एस. सी. आर**. 897** पैरा **13** ए.

एच.

ए. आर. यू. एन. ए. ओसवाल बनाम पनकाज ओसवाल और ओ. आर. एस.

[2005] 1 एससीआर **624**

उस पर भरोसा करें

पैरा **22**

[2004] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 334** पर निर्भर

पैरा **23**

[2004] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 648** पर निर्भर

पैरा **24**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2019 की सिविल अपील संख्या 9340।

बी.

2018 की कंपनी अपील (एटी) संख्या 411 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के दिनांक 14.11.2019 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सी.

2019 का सी. ए. सं. 9401 और 9399

डॉ. ए. एम. सिंघवी, नीरज किशन कौल, सिद्धार्थ दवे, पी. एस. नरसिम्हन, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, अजीम सैमुअल, सुश्री बबीता यादव, सुश्री मनीषा चड्ढा, भक्ति वर्धन सिंह, अमर गुप्ता, पल्लवी कुमार, राघव सभरवाल, सिद्धार्थ सेठी, अमन झा और आर. सी. कोहली, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा**,** जे।

1. इन अपीलों को 2018 की कंपनी अपील (ए. टी.) No.411 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा (संक्षेप में 'एन. सी. एल. ए. टी.') पारित दिनांक 14.11.2019 के फैसले और आदेश के खिलाफ प्राथमिकता दी गई है, जिससे कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 241 और 242 के तहत दायर आवेदनों की रखरखाव के संबंध में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'एन. सी. एल. टी.') द्वारा पारित आदेश की पुष्टि होती है।

ई.

एफ.

2. यह मामला पारिवारिक कलह का परिणाम है।स्वर्गीय श्री अभय कुमार ओसवाल ने अपने जीवनकाल के दौरान एक सूचीबद्ध कंपनी मेसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड में 960 शेयर रखे थे।उन्होंने रूस में 29.3.2016 पर अंतिम सांस ली।श्री अभय कुमार ओसवाल ने अधिनियम की धारा 72 के अनुसार अपनी पत्नी ओसवाल के पक्ष में नामांकन दाखिल किया। दो गवाहों ने निर्धारित तरीके से नामांकन को विधिवत प्रमाणित किया।अपीलार्थी के अनुसार, इसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया था कि:"यह नामांकन मेरे/हमारे द्वारा किए गए किसी भी पूर्व नामांकन और मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित किसी भी वसीयतनामा दस्तावेज का स्थान लेगा।" अपीलार्थी श्रीमती अरुणा ओसवाल का नाम उनके मृत पति द्वारा रखे गए शेयरों के खिलाफ 16.4.2016 पर धारक के रूप में पंजीकृत किया गया था।

जी.

एच.

ए.

3. प्रत्यर्थी नं. 1 श्री पंकज ओसवाल ने श्री अभय कुमार ओसवाल की संपत्ति के एक-चौथाई हिस्से पर हक का दावा करते हुए सी. एस. No.53/2017 होने के नाते विभाजन का मुकदमा दायर किया।उन्होंने मृतक की एक-चौथाई हिस्सेदारी का दावा किया, जिनके पास ओसवाल एग्रो मिल्स में 39.88% तक के शेयर थे।लिमिटेड, प्रत्यर्थी सं. 2.मृतक के पास मेसर्स ओसवाल ग्रीनटेक लिमिटेड, प्रत्यर्थी No.16 में 11.11% शेयर भी थे।प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा 3.2.2017 पर प्रत्यर्थी संख्या 2 कंपनी में 39.88% हिस्सेदारी के 1/4 वें हिस्से और प्रत्यर्थी संख्या No.16 कंपनी में 11.11% हिस्सेदारी के लिए विभाजन मुकदमा दायर किया गया था।दीवानी मुक़दमे में अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की गई थी।उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से पक्षों को शेयरों और अन्य अचल संपत्ति से संबंधित यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।8.2.2017 तक, शेयर श्रीमती अरुणा ओसवाल के स्वामित्व में पंजीकृत थे, जो शेयरों की मालिक बनी हुई हैं।4. श्री अभय कुमार ओसवाल की मृत्यु के बाद, प्रत्यर्थी नंबर 1 अपनी पत्नी के साथ प्रत्यर्थी Nos.2 और 16 के कॉर्पोरेट कार्यालयों में प्रवेश किया, जिसके लिए एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी। एफ. आई. आर. नं. 54/2016 नई दिल्ली के बाराखंभा रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।प्रतिवाद के रूप में, प्रत्यर्थी No.1also ने अपीलार्थी के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 और प्रत्यर्थी No.16 कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ शेयरों के अवैध संचरण का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक शिकायत दर्ज की।एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए प्रत्यर्थी

संख्या 1 द्वारा दायर आवेदन को 13.8.2018 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था, और उक्त बर्खास्तगी के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका लंबित है।

बी.

सी.

डी.

ई.

5. श्री पंकज ओसवाल, प्रत्यर्थी नंबर 1 ने कंपनी याचिका दायर की

No.56/CHD/PB/2018-पंकज ओसवाल बनाम ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड

या, प्रत्यर्थी संख्या 2 कंपनी के मामलों में उत्पीड़न और कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए।मेसर्स ओसवाल ग्रीनटेक के खिलाफ भी प्रार्थना की गई।लि. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 0.03% शेयरधारिता के धारक होने और मेसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड की 9.97% शेयरधारिता के लिए पात्रता और वैध अपेक्षा का दावा करने के आधार पर याचिका को बनाए रखने की पात्रता का दावा किया क्योंकि वह मृतक अभय कुमार ओसवाल का बेटा है।

एफ.

जी.

6. अपीलार्थी द्वारा मई 2018 में एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर याचिका की रखरखाव को चुनौती दी गई थीः

(i) उस प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास मेसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड, ए की कुल चुकता पूंजी के केवल 42,900 शेयर हैं।

एच.

जिनका जून 2017 में अधिग्रहण किया गया था।स्वर्गीय अभय कुमार ओसवाल द्वारा धारण की गई 39.88% हिस्सेदारी में से 9.97% पर पंकज ओसवाल द्वारा किए गए दावे को अधिनियम की धारा 244 के साथ पठित धारा 241 और 242 के तहत याचिका बनाए रखने के लिए आधार नहीं बनाया जा सका। यह बताया गया कि मृतक की पूरी हिस्सेदारी

श्रीमती अरुणा ओसवाल के स्वामित्व में 16.4.2016 से हस्तांतरित की गई थी।वह उन शेयरों की पूर्ण स्वामी है जो अधिनियम की धारा 72 और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधानों के तहत उसके पास हैं।

बी.

((ii) प्रत्यर्थी संख्या 1 अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन का संकेत देने में विफल रहा। उत्पीड़न और कुप्रबंधन के बारे में किए गए कथन गंजे और अस्पष्ट थे।

सी.

(iii) प्रत्यर्थी संख्या 1 मंच खरीदारी में लिप्त था, जिसे विभाजन मुकदमा दायर करने के उपाय का लाभ उठाने के कारण अनुमति नहीं दी जा सकती थी, जिसके कारण कंपनी की याचिका को बनाए रखने योग्य नहीं कहा जा सकता था।(iv) उच्च न्यायालय ने 8.2.2017 पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, जिसके अनुसार, चूंकि हिस्सेदारी श्रीमती अरुणा ओसवाल के नाम पर हस्तांतरित की गई थी, इसलिए वह मुकदमे के लंबित रहने के दौरान भी मालिक बनी रहेगी।

डी.

(v) हिस्सेदारी के संबंध में मुकदमे के साथ-साथ कंपनी की याचिका में भी इसी तरह की प्रार्थना की गई है।कंपनी की याचिका में शेयरों के स्वामित्व के निर्धारण के संबंध में अनुरोध दीवानी मुकदमे का विषय था, क्योंकि अधिनियम की धारा 241 और 242 के तहत आवेदन को विचारणीय नहीं कहा जा सकता था।उपयुक्त उपाय अधिनियम की धारा 59 के तहत लागू करना था।

ई.

(vi) मृतक की संपत्ति की विरासत के बारे में उठाया गया मुख्य विवाद एक नागरिक विवाद है और इसे उत्पीड़न और कुप्रबंधन का कार्य नहीं कहा जा सकता है।दीवानी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान दायर कंपनी की याचिका में इस तरह के विवाद पर निर्णय नहीं लिया जा सका।अतः कंपनी की याचिका खारिज की जानी चाहिए।

एफ.

(vii) प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास अधिनियम की धारा 241 के प्रावधानों को लागू करने के लिए धारा 244 (1) के तहत अनिवार्य रूप से अपेक्षित हिस्सेदारी नहीं थी।

जी.

(viii) एक ही मुद्दे पर समानांतर कार्यवाही को उचित नहीं कहा जा सकता है, और इस प्रकार, आवेदन को बनाए रखने योग्य नहीं कहा जा सकता है।

एच.

7. एन. सी. एल. टी., चंडीगढ़ ने अपीलार्थीगण और अन्य प्रत्यर्थीगण को कंपनी की याचिका का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें रखरखाव के सवाल का फैसला नहीं किया गया था, एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष एक अपील को प्राथमिकता दी गई थी, और उसी का निपटान 29.5.2018 पर किया गया था और एन. सी. एल. टी. को कंपनी की याचिका पर योग्यता के आधार पर निर्णय लेने से पहले रखरखाव के मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था।

बी.

8. एन. सी. एल. टी. ने दिनांक 13.11.2018 के आदेश के माध्यम से आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें सी. ए. No.146/2018 ने कंपनी की याचिका की रखरखाव को चुनौती दी।एन. सी. एल. टी. ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में अभिनिर्धारित किया जो संपत्ति/शेयरों के एक-चौथाई हिस्से का हकदार था।इससे व्यथित होकर, एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष तीन अपील दायर की गईं, जिन्हें निर्णय और दिनांक 14.11.2019 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।इससे व्यथित होकर, अपीलार्थीगण इस न्यायालय के समक्ष हैं।

सी.

9. 17.2.2020 पर पक्षों को एक सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए समय दिया गया था जो नहीं हो सका।इसलिए मामले की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर की गई।

डी.

10. मृतक की पत्नी श्रीमती अरुणा ओसवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए. एम. सिंघवी ने जोरदार तर्क दिया कि अपीलकर्ता पूर्व शेयरधारक स्वर्गीय अभय कुमार ओसवाल के शेयरों का एकमात्र नामांकित व्यक्ति था।अधिनियम की धारा 71 में निहित प्रावधानों को देखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1 नामांकन के कारण उक्त शेयरों में किसी भी ब्याज का दावा नहीं कर सका।माता श्रीमती अरुणा ओसवाल के नाम के शेयरों को बाहर करने के बाद, प्रतिवादी नंबर 1 पंकज ओसवाल के पास मैसर्स ओसवाल एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड में हिस्सेदारी का केवल 0.03% होगा। अधिनियम की धारा 244 के प्रावधानों को देखते हुए, प्रत्यर्थी सं।1 10 प्रतिशत की अपेक्षित हिस्सेदारी के अभाव में, आवेदन अधिनियम की धारा 241 और 242 के तहत बनाए रखने योग्य नहीं था। श्री अभय कुमार ओसवाल की निर्वसीयत मृत्यु हो गई।अधिनियम की धारा 72 के प्रावधानों के कारण, सभी अधिकार अपीलार्थी श्रीमती

अरुणा ओसवाल में निहित हैं।इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा मई, 2017 में दीवानी मुकदमा दायर करने के बाद 0.03% की सीमा तक खरीदी गई शेयरधारिता ने उसे कंपनी की याचिका को बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं दिया।प्रत्यर्थी नंबर 1 निर्विवाद रूप से ऑस्ट्रेलिया में बस गया है और उसका कंपनी के प्रबंधन से कोई लेना-देना नहीं था।उन्होंने मेसर्स के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है।ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड अवैध रूप से।एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. ने मृत शेयरधारक के अधिकारों की अनदेखी की और उनकी अनदेखी की जो नामांकित व्यक्ति में निहित होंगे।आवेदन को रखरखाव योग्य नहीं कहा जा सका।उत्तराधिकार का मामला इस न्यायालय के समक्ष एक अन्य सी. ए. No.7107/2017 ए. में निर्णय के लिए लंबित है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

483

ए. आर. यू. एन. ए. ओसवाल बनाम पनकाज ओसवाल और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।] ए.

– शक्ति येज़दानी बनाम जयानंद जयंत।यह उचित नहीं होगा

एन. सी. एल. टी. एक नागरिक विवाद का फैसला करेगी।प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अधिनियम की धारा 244 की कठोरता पर छूट का दावा नहीं किया और अधिनियम की धारा 244 के प्रावधान के तहत छूट की मांग करने वाला आवेदन भी दायर नहीं किया।

11. मेसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नीरज किशन कौल ने जोर देकर तर्क दिया कि दीवानी मुकदमे के लंबित होने के मद्देनजर, एन. सी. एल. टी. के लिए आवेदन पर विचार करना उचित नहीं था।रिलायंस ने इस अदालत के फैसले को वर्ल्ड वाइड में रखा

बी.

एजेंसियां प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाममार्गरेट टी. डेसोर एंड ओआरएस।, (1990) 1 एससीसी

536 इसे उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि नामांकन का प्रश्न उक्त मामले में शामिल नहीं था।उक्त मामले में कोई नामांकन नहीं किया गया था।यह शेयरों की विरासत का मामला था। इस प्रकार, कानूनी प्रतिनिधियों को उत्पीड़न और कुप्रबंधन के संबंध में आवेदन बनाए रखने

का अधिकार दिया गया था।अधिनियम की धारा 72 के प्रावधानों को देखते हुए, और विशेष रूप से आवश्यक हिस्सेदारी के अभाव में, प्रत्यर्थी संख्या 1, पंकज ओसवाल को कंपनी की याचिका को बनाए रखने की अनुमति नहीं थी।चूँकि पहले एक दीवानी मुकदमा दायर किया गया था और शेयरों के स्वामित्व के समान मुद्दा भी उसमें उठाया गया है, इसलिए कंपनी की याचिका में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जानी चाहिए, यह मानते हुए भी कि कंपनी की याचिका बनाए रखने योग्य है।

सी.

डी.

12. श्री पी. एस. नरसिम्हन ने मैसर्स ओसवाल ग्रीन टेक लिमिटेड, प्रत्यर्थी No.16 का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता से सीखा, उन्होंने जोरदार तर्क दिया कि मृतक के पास 11.11% हिस्सेदारी थी जिसमें से प्रत्यर्थी नंबर 1 ने केवल एक-चौथाई ब्याज का दावा किया था।इस प्रकार, कुल शेयरधारिता को देखते हुए जो उपलब्ध होगी, भले ही प्रत्यर्थी संख्या 1 को 2.78% की सीमा तक मालिक माना जाता है, यह अधिनियम की धारा 244 में निहित प्रावधानों को देखते हुए धारा 241 और 242 के तहत एक आवेदन बनाए रखने की आवश्यकता से बहुत कम होगा। यह एक नागरिक विवाद का मामला है।इस प्रकार, कंपनी की याचिका को बनाए रखना उचित नहीं होगा।यह उसी राहत से संबंधित लगातार याचिकाएं दायर करने के लिए कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग है।प्रत्यर्थी संख्या 1 के पास आवेदन को बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है, और विबंध का सिद्धांत आवेदन को बनाए रखने के रास्ते में आता है।

ई.

एफ.

जी.

13. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे ने दृढ़ता से तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 241 और 242 के तहत दायर आवेदन विचारणीय था।नामांकन केवल कानूनी प्रतिनिधियों के लाभ के लिए शेयरों को रखने के लिए किया गया था।कानूनी प्रतिनिधि के लिए कार्यवाही को बनाए रखने की अनुमति है।

एच.

कंपनी के मामलों में उत्पीड़न और कुप्रबंधन के लिए, हालांकि उसका नाम शेयरों के पंजीकृत मालिक के रूप में दर्ज नहीं किया गया है।उसके पास है

वर्ल्ड वाइड एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड के निर्णय (ऊपर) पर भरोसा किया, श्रीमती. सरबती देवी और अन्र बनामश्रीमती. उषा देवी, (1984) 1 एस. सी. सी. 424, विशिन एन. खानचंदानी और अन्र. बनाम।विद्या लच्मंडस खानचंदानी और अन्र, (2000) 6 एस. सी. सी. 724; और राम चंदर तलवार और अन्र बनामदेवेंद्र

बी.

कुमार तलवार और अन्य (2010) 10 एस. सी. सी. 671।उन्होंने आगे तर्क दिया कि 10 प्रतिशत शेयर रखने के लिए छूट की आवश्यकता का अनुरोध प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर कंपनी याचिका में किया गया था।एन. सी. एल. टी. के साथ-साथ एन. सी. एल. ए. टी. ने याचिका को उचित माना।दीवानी मुक़दमे की विचाराधीनता उत्पीड़न और कुप्रबंधन से संबंधित आवेदन को बनाए रखने के रास्ते में नहीं आ सकती थी, क्योंकि दीवानी मुक़दमे में केवल नागरिक अधिकारों का निर्धारण किया जाना है।इस न्यायालय के ऊपर उल्लिखित निर्णयों के कारण कंपनी की याचिका प्रथम दृष्टया विचारणीय है।इसलिए, अपीलों में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

सी.

14. पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया पहला तर्क अधिनियम की धारा 72 के तहत नामांकन के प्रभाव से संबंधित है, जिसे नीचे निकाला गया हैः

डी.

“72. (1) कंपनी का प्रत्येक प्रतिभूति धारक, किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति को निर्धारित तरीके से नामित कर सकता है, जिसे उसकी प्रतिभूतियाँ उसकी मृत्यु की स्थिति में निहित होंगी।

ई.

(2) जहां किसी कंपनी की प्रतिभूतियां एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से रखी जाती हैं, संयुक्त धारक एक साथ किसी भी व्यक्ति को निर्धारित तरीके से नामित कर सकते हैं, जिसे प्रतिभूतियों में सभी अधिकार सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की स्थिति में निहित होंगे।(3) कंपनी की प्रतिभूतियों के संबंध में, तत्काल प्रवृत्त किसी अन्य कानून में या किसी अन्य व्यवस्था में, चाहे वह वसीयतनामा हो या अन्यथा, किसी कंपनी की प्रतिभूतियों के संबंध में, जहां निर्धारित तरीके से किया गया नामांकन किसी व्यक्ति को कंपनी की प्रतिभूतियों को निहित करने का अधिकार प्रदान करने का तात्पर्य रखता है, नामांकित व्यक्ति, प्रतिभूतियों के धारक की मृत्यु पर या, जैसा भी मामला हो, संयुक्त धारकों की मृत्यु पर, धारक की प्रतिभूतियों में सभी अधिकारों का हकदार बन जाएगा या ऐसी प्रतिभूतियों के

संबंध में, सभी संयुक्त धारकों का, ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में, अन्य सभी व्यक्तियों के बहिष्कार का, जब तक कि नामांकन निर्धारित तरीके से भिन्न या रद्द नहीं किया जाता है।

एफ.

जी.

एच.

485

ए. आर. यू. एन. ए. ओसवाल बनाम पनकाज ओसवाल और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।] ए.

ए.

(4) जहां नामांकित व्यक्ति नाबालिग है, वहां प्रतिभूतियों के धारक के लिए यह वैध होगा कि वह किसी भी व्यक्ति को कंपनी की प्रतिभूतियों का हकदार बनने के लिए निर्धारित तरीके से नियुक्त करे, यदि नामांकित व्यक्ति की अल्पावधि के दौरान मृत्यु हो जाती है।"

(जोर दिया गया) 15.धारा 72 (1) के उपरोक्त प्रावधानों को नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट है कि प्रतिभूतियों के प्रत्येक धारक को किसी भी व्यक्ति को नामित करने का अधिकार है जिसे उसकी प्रतिभूतियां उसकी मृत्यु की स्थिति में "निहित" होंगी।संयुक्त धारकों के मामले में भी, उन्हें किसी भी व्यक्ति को नामित करने का अधिकार है, जिसे सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु की स्थिति में "प्रतिभूतियों में सभी अधिकार निहित होंगे"।धारा 72 की उप-धारा (3) में उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी चीज़ के संबंध में एक गैर-अस्थाई खंड है, चाहे वह वसीयतनामा हो या अन्यथा, जहां एक नामांकन वैध रूप से निर्धारित तरीके से किया जाता है, यह किसी भी व्यक्ति को कंपनी की प्रतिभूतियों को "निहित करने का अधिकार" प्रदान करने का तात्पर्य रखता है, प्रतिभूतियों में सभी अधिकार नामांकित व्यक्ति में निहित होंगे जब तक कि कोई नामांकन निर्धारित तरीके से भिन्न या रद्द नहीं किया जाता है। यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि निहित करना निरपेक्ष है, और प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून के गैर-अस्थाई खंड के आधार पर प्रतिस्थापित हो जाते हैं।प्रथम दृष्टया शेयर एक नामांकित व्यक्ति में निहित होता है, और वह नामांकन के बल पर प्रतिभूतियों का पूर्ण मालिक बन जाता है।अधिनियम के तहत बनाए गए कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 19 (2) भी इसी प्रभाव का संकेत देते हैं।नियम 19 (8) के तहत, एक नामांकित व्यक्ति लाभांश या ब्याज और अन्य लाभ प्राप्त करने का हकदार हो जाता है, जिसके लिए वह हकदार होता यदि वह प्रतिभूतियों का पंजीकृत धारक होता और एक पंजीकृत धारक बनने के बाद, वह कंपनी की बैठकों में भाग ले सकता है।नियम 19 (8) को नीचे निकाला गया है:

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

“19(8).एक व्यक्ति, एक नामांकित व्यक्ति होने के नाते, धारक की मृत्यु के कारण किसी भी प्रतिभूति का हकदार होने के कारण, वही लाभांश या ब्याज और अन्य लाभों का हकदार होगा, जिनके लिए वह हकदार होता यदि वह प्रतिभूतियों का पंजीकृत धारक होता, सिवाय इसके कि वह ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में धारक के रूप में पंजीकृत होने से पहले, इन प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी की बैठकों के संबंध में सदस्यता द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगाः

जी.

एच.

बशर्ते कि बोर्ड, किसी भी समय, किसी ऐसे व्यक्ति को स्वयं पंजीकृत होने या प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने के लिए चुनने के लिए आवश्यक सूचना दे सकता है और यदि सूचना का नब्बे दिनों के भीतर पालन नहीं किया जाता है, तो बोर्ड इसके बाद, यथास्थिति, प्रतिभूतियों के संबंध में देय सभी लाभांश या ब्याज, बोनस या अन्य धन का भुगतान तब तक रोक सकता है जब तक कि सूचना की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाता है।”

बी.

16. वर्ल्ड वाइड एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

एक कानूनी प्रतिनिधि को किसी कंपनी की प्रतिभूतियों के खिलाफ एक सदस्य के रूप में पंजीकृत हुए बिना उत्पीड़न और कुप्रबंधन के संबंध में एक आवेदन बनाए रखने का अधिकार है।हालाँकि, नामांकन का प्रश्न उक्त निर्णय में शामिल नहीं था, इसलिए न्यायालय को नामांकन के प्रभाव के प्रश्न पर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं थी कि क्या वह कानूनी प्रतिनिधियों के बहिष्कार के लिए नामित प्रतिभूतियों में सभी अधिकार निहित करता है। याचिका को बनाए रखने के लिए एक कानूनी प्रतिनिधि के अधिकार से संबंधित न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

सी.

डी.

“12. अपीलार्थीगण की ओर से यह तर्क दिया गया कि अधिकार जो एक विशिष्ट वैधानिक अधिकार है, केवल कंपनी के एक सदस्य को दिया जाता है और जब तक कोई कंपनी का सदस्य नहीं है, तब तक अधिनियम की धारा 397 के तहत आवेदन बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है। श्री नरीमन ने तर्क दिया कि किसी शेयरधारक की मृत्यु के मामले में उसके कानूनी उत्तराधिकारी और प्रतिनिधियों को शेयरों का कोई स्वचालित हस्तांतरण नहीं था, और बोर्ड के पास विवेक है और वह शेयरों को पंजीकृत करने से इनकार कर सकता है। इसलिए, कानूनी प्रतिनिधियों के पास अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत आवेदन बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं था। श्री नरीमन ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत अधिकार वैधानिक अधिकार हैं और क़ानून की शर्तों में उनका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए।यह प्रस्तुत किया गया था कि यह अधिकार किसी कंपनी के "किसी भी सदस्य" को दिया गया था और इसे "कोई भी व्यक्ति जो सदस्य बनने का हकदार हो सकता है" को शामिल करने के लिए विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए।

ई.

एफ.

13. संबंधित प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए अधिनियम के कुछ प्रावधानों की जांच करना आवश्यक होगा। अधिनियम की धारा 2 (27) में कहा गया है कि कंपनी के संबंध में "सदस्य" में अधिनियम की धारा 114 के अनुसरण में जारी कंपनी के शेयर-वारंट का वाहक शामिल नहीं है। अधिनियम की धारा 41 इस प्रकार प्रदान करती है:“41. (1) कंपनी के ज्ञापन के अभिदाताओं को सदस्य बनने के लिए सहमत माना जाएगा ए

जी.

एच.

487

ए. आर. यू. एन. ए. ओसवाल बनाम पनकाज ओसवाल और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।] ए.

कंपनी का, और उसके पंजीकरण पर, उसके सदस्यों के रजिस्टर में सदस्यों के रूप में दर्ज किया जाएगा।

(2) प्रत्येक अन्य व्यक्ति जो किसी कंपनी का सदस्य बनने के लिए लिखित रूप में सहमत हुआ और जिसका नाम उसके सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, वह कंपनी का सदस्य होगा।"

बी.

14. अंग्रेजी कंपनी अधिनियम**, 1948** की धारा **26** काफी हद तक समान है।

15. अधिनियम की धारा 109 इस प्रकार बताती है:"किसी मृत सदस्य की कंपनी में उसके कानूनी प्रतिनिधि द्वारा किए गए शेयर या अन्य ब्याज का हस्तांतरण, हालांकि कानूनी प्रतिनिधि स्वयं सदस्य नहीं है, उतना ही वैध होगा जैसे कि वह हस्तांतरण के दस्तावेज के निष्पादन के समय सदस्य रहा हो।"

सी.

16. इस संबंध में, अधिनियम की तालिका ए के अनुच्छेद 25 से 28 का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, जो शेयरों के संचरण से संबंधित हैं और जो निम्नलिखित शर्तों में हैं:

डी.

"25. (1) एक सदस्य की मृत्यु पर जीवित व्यक्ति जहां सदस्य एक संयुक्त धारक था, और उसके कानूनी प्रतिनिधि जहां वह एकमात्र धारक था, केवल वही व्यक्ति होंगे जिन्हें कंपनी द्वारा शेयरों में उसके हित के लिए कोई अधिकार होने के रूप में मान्यता दी जाएगी।

ई.

(2) खंड (1) की कोई बात किसी मृत संयुक्त धारक की संपत्ति को किसी ऐसे हिस्से के संबंध में किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगी जो उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारित किया गया था।

26. (1) किसी सदस्य की मृत्यु या दिवालिया होने के परिणामस्वरूप किसी हिस्से का हकदार बनने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत करने पर, जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा उचित रूप से आवश्यक हो सकता है और इसके बाद के प्रावधान के अधीन, दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकता है -

एफ.

(क**)** अंश के धारक के रूप में स्वयं को पंजीकृत करना**;** या **(**ख**)** अंश का ऐसा हस्तांतरण करना जो मृतक या दिवालिया सदस्य कर सकता था।

जी.

(2) बोर्ड को, दोनों ही मामलों में, पंजीकरण को अस्वीकार करने या निलंबित करने का वही अधिकार होगा जो उसे होता, यदि मृतक या दिवालिया सदस्य ने अपनी मृत्यु या दिवालिया होने से पहले हिस्से का हस्तांतरण किया होता।

एच.

27. (1) यदि ऐसा होने वाला व्यक्ति स्वयं शेयर के धारक के रूप में पंजीकृत होने का चुनाव करेगा, तो वह कंपनी को अपने द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित सूचना देगा या भेजेगा जिसमें कहा जाएगा कि वह ऐसा चुनता है।

(2) यदि उपरोक्त व्यक्ति शेयर को हस्तांतरित करने का चुनाव करेगा, तो वह शेयर के हस्तांतरण को निष्पादित करके अपने चुनाव की गवाही देगा।(3) हस्तांतरण के अधिकार और शेयरों के हस्तांतरण के पंजीकरण से संबंधित इन विनियमों की सभी सीमाएं, प्रतिबंध और प्रावधान उपरोक्त किसी भी सूचना या हस्तांतरण पर लागू होंगे जैसे कि सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन नहीं हुआ था और सूचना या हस्तांतरण उस सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित हस्तांतरण था।

बी.

सी.

28. धारक की मृत्यु या दिवालिया होने के कारण शेयर का हकदार बनने वाला व्यक्ति वही लाभांश या अन्य लाभों का हकदार होगा जिसका वह हकदार होगा यदि वह शेयर का पंजीकृत धारक होता, सिवाय इसके कि वह शेयर के संबंध में सदस्य के रूप में पंजीकृत होने से पहले, कंपनी की बैठकों के संबंध में सदस्यता द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगाः

डी.

बशर्ते कि बोर्ड, किसी भी समय, किसी ऐसे व्यक्ति से खुद को पंजीकृत करने या शेयर हस्तांतरित करने के लिए चुनने की आवश्यकता की सूचना दे सकता है, और यदि नोटिस का नब्बे दिनों के भीतर पालन नहीं किया जाता है, तो बोर्ड इसके बाद शेयर के संबंध में देय सभी लाभांश, बोनस या अन्य धन का भुगतान तब तक रोक सकता है जब तक कि नोटिस की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया जाता है।"

ई.

एफ.

17. अनुच्छेद 28 कमोबेश अंग्रेजी कंपनी अधिनियम की तालिका ए के अनुच्छेद 32 के समान है। यह भी उल्लेख किया जा सकता है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, कि अंग्रेजी कंपनी अधिनियम की धारा 210,1980 में इसके संशोधन से पहले, काफी हद तक अधिनियम की धारा 397 के समान थी।

जी.

24. हम पहले बताए गए कारण से सहमत नहीं हैं।यह आगे हमें प्रतीत होता है कि ऑस्ट्रेलियाई निर्णय यह स्वीकार करने में तर्क से मेल नहीं खाता है कि कानूनी प्रतिनिधि बंद करने के लिए याचिका दायर कर सकता है, जिसे "स्लेज-हैमर उपाय" कहा जाता है, लेकिन उत्पीड़न और कुप्रबंधन के खिलाफ राहत पाने के कम और वैकल्पिक उपाय को अस्वीकार कर देगा, हालांकि बाद के उपाय के लिए ए की आवश्यकता होती है।

एच.

489

ए. आर. यू. एन. ए. ओसवाल बनाम पनकाज ओसवाल और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।] ए.

इसके आह्वान के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में न्यायसंगत और न्यायसंगत आधार पर समापन की स्थापना।यह अभिनिर्धारित करना असंगत होगा कि न्यायसंगत और न्यायसंगत आधार पर समाप्त करने का मामला अधिनियम की धारा 439 (4) (बी) के तहत कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा बनाया जा सकता है, लेकिन दूसरे के द्वारा नहीं।यह तर्कसंगत नहीं लगता है।हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह अभिनिर्धारित करना कि किसी मृत शेयरधारक के कानूनी प्रतिनिधियों को अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत किसी सदस्य का समान अधिकार नहीं दिया जा सकता है, एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण लेना होगा जो समानता या न्याय के कारण को आगे नहीं बढ़ाता है।उच्च न्यायालय ने अपील के तहत अपने फैसले में इस आधार पर कार्रवाई की कि मृत सदस्य के कानूनी प्रतिनिधि उस सदस्य की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में है।जब सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति कानूनी प्रतिनिधियों को सौंपी जाती है।इसलिए, जब ये निहित वस्तुएं अवैध रूप से या गलत तरीके से प्रभावित होती हैं, तो कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से संपत्ति को उत्पीड़न और कुप्रबंधन के संबंध में याचिका दायर करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए और यह ऐसा है जैसे संपत्ति मृतक सदस्य के स्थान पर है।हमारा मानना है कि यह दृष्टिकोण सही है।इस संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि उत्तराधिकार को स्थगित नहीं रखा गया है और मृतक सदस्य की संपत्ति मृतक की मृत्यु पर कानूनी प्रतिनिधियों में निहित है और उन्हें अधिनियम की धारा 109 के तहत शेयरों के हस्तांतरण के उद्देश्य से

मृतक सदस्य के लिए कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। 25.कुछ स्थितियों और आकस्मिकताओं में, "सदस्य" एक "धारक" से अलग हो सकता है।एक "सदस्य" शेयरों का "धारक" हो सकता है लेकिन एक "धारक" "सदस्य" नहीं हो सकता है।मामले के उस दृष्टिकोण से, वर्तमान उद्देश्य के लिए इस प्रश्न की जांच उस कोण से करना आवश्यक नहीं है जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने केदार के मामले में स्थिति का विश्लेषण किया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

नाथ अग्रवाल बनाम जय इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, (1963) 33 कॉम

केस 102 (कैल) जिस पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था।

26. मान लीजिए कि वर्तमान मामले में, कानूनी प्रतिनिधि मृत सदस्य, जो कंपनी के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष थे और जिनका नियंत्रण हित था, के स्थान पर सदस्यों के रजिस्टर में अपना नाम डालने के लिए अधिक चिंतित रहे हैं।इसलिए, इस बात पर जोर देना गलत होगा कि अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत आवेदन करने से पहले उनके नाम रजिस्टर पर रखे जाने चाहिए। इससे निराशा होगी।

जी.

एच.

कार्रवाई की आवश्यकता का बहुत उद्देश्य।उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि यदि कानूनी प्रतिनिधियों को, जो केवल संभावित सदस्य या सदस्यों के रजिस्टर पर आने की संभावना वाले व्यक्ति थे, अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत आवेदन दायर करने की अनुमति दी जाती है, तो यह तबाही पैदा करेगा, क्योंकि तब सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित खाली हस्तांतरण फॉर्म रखने वाले और वित्तीय हित रखने वाले व्यक्ति भी अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत आवेदन दायर करने का दावा कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह एक भ्रांति है कि सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित रिक्त अंतरण प्रपत्र रखने वाले व्यक्तियों के मामले में, यह स्वयं सदस्य हैं जो सदस्यों के रजिस्टर पर दिखाए गए हैं और वे रिक्त अंतरण प्रपत्र वाले व्यक्तियों से अलग हैं, जबकि कानूनी प्रतिनिधियों के मामले में यह मृत सदस्य है जिसे रजिस्टर पर दिखाया गया है और कानूनी प्रतिनिधि प्रभावी रूप से अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।उस सदस्य की मृत्यु के माध्यम से उन पर एक अधिकार हस्तांतरित किया गया है जिसका नाम अभी भी रजिस्टर में है।इसलिए, हमारी राय में, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में प्रमुख रूप से सही था कि मृत सदस्य के कानूनी प्रतिनिधि, जिनका नाम अभी भी सदस्यों के रजिस्टर में है, अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत याचिका दायर करने के हकदार हैं। हमने जो विचार रखा है, उस विवाद पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या याचिका की तारीख तक वे सदस्य नहीं थे।मामले के उस दृष्टिकोण में, हमारे लिए इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

राजमुंदरी विद्युत आपूर्ति निगम।लिमिटेड वी.ए. मगेश्वर

राव, ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 233।इस न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए

भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम एस्कॉर्ट्स लिमिटेड,

(1986) 1 एस. सी. सी. 264, हमारी राय में, उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से किए गए इस तर्क पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति गलती से प्राप्त की गई थी और इसके परिणामस्वरूप कोई अनुमति नहीं दी गई थी।वर्तमान संदर्भ में, हमारी राय है कि मामले के पहले पहलू पर उच्च न्यायालय का विचार सही था।" इससे पहले नामांकन के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया था।

एफ.

जी.

वर्ल्ड वाइड एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. (ऊपर) में न्यायालय।वहाँ कोई नहीं है

संदेह है कि नामांकन के अभाव में, एक कानूनी प्रतिनिधि को उत्पीड़न और कुप्रबंधन के संबंध में याचिका बनाए रखने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।तत्काल मामले में,

नामांकन किया गया था, और नामांकित व्यक्ति को शेयरों के धारक के रूप में पंजीकृत किया जाता है।ए की सीमा निर्धारित करने के लिए इसका क्या प्रभाव है, यह तय करना आवश्यक है।

एच.

491

ए. आर. यू. एन. ए. ओसवाल बनाम पनकाज ओसवाल और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।] ए.

प्रत्यर्थी सं. 1 की हिस्सेदारी, जिसके बारे में समय के साथ पहले दीवानी मुकदमा दायर किया गया था, विचाराधीन है।

17. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी श्रीमती पर भरोसा रखा है।

सरबती देवी और अन्न बनामश्रीमती. उषा देवी (1984) 1 एस. सी. सी. 424 जिसमें

जीवन बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के संबंध में विचार के लिए प्रश्न आया, जिसमें पॉलिसी के तहत कवर की गई राशि में एक नामांकित व्यक्ति के अधिकारों के बारे में पूछा गया था, जब बीमित व्यक्ति की निर्वसीयत मृत्यु हो गई थी।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नामांकन उत्तराधिकार के कानून के तहत बीमाकृत के उत्तराधिकारियों के दावे के अधीन था।जीवन बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 39 के प्रावधान अधिनियम की धारा 72 में निहित प्रावधानों से काफी अलग हैं। नामित व्यक्ति के अधिकार इस बात पर निर्भर करेंगे कि वैधानिक रूप से क्या प्रदान किया गया है।1938 के अधिनियम की धारा 39 के तहत नामित व्यक्ति में कोई ब्याज निहित करने का प्रावधान नहीं था।अतः निर्णय अपीलार्थी के कारण का समर्थन नहीं करता है।

बी.

सी.

18. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी विशिन में निर्णय का उल्लेख किया है।

एन. खानचंदानी और अन्न बनामविद्या लच्मंडस खानचंदानी और

डी.

अनु., (2000) 6 एस. सी. सी. 724, जिसमें सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 की धारा 6 से 8 के प्रावधान विचार के लिए आए।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नामांकित व्यक्ति बचत प्रमाणपत्रों पर देय राशि प्राप्त करने का हकदार था, फिर भी उसने उत्तराधिकार के प्रासंगिक कानून के तहत इसके हकदार व्यक्तियों के लिए इसे बरकरार रखा।

यह तर्क कि धारा 6 में अस्थाई खंड नामित व्यक्ति को प्राप्त राशि का उपयोग अपनी इच्छानुसार करने का अधिकार देता है, खारिज कर दिया गया।1959 के अधिनियम की ऊपर उल्लिखित धाराओं में निहित करने का प्रावधान नहीं था; इस प्रकार, प्रावधान काफी अलग होने के कारण, निर्णय अलग है।

ई.

19. प्रत्यर्थी संख्या 1 का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अंत में

राम चंदर तलवार और अन्न बनाम को संदर्भित किया गया।देवेंद्र कुमार तलवार

एफ.

& अन्य, (2010) 10 एस. सी. सी. 671, जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45-जेड. ए. (2) के साथ-साथ हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 और 1956 के प्रावधानों पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया था।उक्त अधिनियम की धारा 45-जेडए के प्रावधानों के तहत किया गया नामांकन एकमात्र जमाकर्ता की मृत्यु पर बैंकिंग कंपनी से जमा की राशि प्राप्त करने के लिए था।धारा 45-जेडए (2) में नामित व्यक्ति को अधिकार सौंपने के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।इसलिए इस फैसले का कोई फायदा नहीं है।

जी.

प्रत्यर्थी2 प्रत्यर्थी0 प्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीजप्रत्यर्थिप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीधप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी2 प्रत्यर्थी4 प्रत्यर्थी1 प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीऔप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी2 प्रत्यर्थी4 प्रत्यर्थी2 प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीआप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीबप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीखप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थिप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीधप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी2 प्रत्यर्थी4 प्रत्यर्थी4 प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थिप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीधप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थिप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थी1 प्रत्यर्थी0 प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थिप्रत्यर्थीशप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थिप्रत्यर्थीबप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीखप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी1 प्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीशप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी।प्रत्यर्थीउसके पास है

एच.

492

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 7 एस सी आर।

सिविल मुकदमा दायर करने के बाद जून 2017 में मेसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड में 0.03% की हिस्सेदारी खरीदी और शेष 9.97% विवाद में है, वह अपने कानूनी प्रतिनिधि होने के आधार पर दावा कर रहा है।मेसर्स ओसवाल ग्रीनटेक लिमिटेड में, मृतक की हिस्सेदारी 11.11% थी, जिसमें से एक-चौथाई हिस्सेदारी का दावा प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा किया जाता है।मान लीजिए, विभाजन के लिए एक दीवानी मुकदमे में, वह मृतक द्वारा रखे गए शेयरों में एक चौथाई तक के अधिकार का भी दावा कर रहा है।प्रत्यर्थी के अधिकार के बारे में प्रश्न नं।1 दीवानी मुक़दमे में अंततः न्यायनिर्णयन की आवश्यकता होती है, जिसमें उसकी माँ श्रीमती अरुणा ओसवाल के पक्ष में नामांकन का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या पूर्ण अधिकार, शीर्षक और हित नामित व्यक्ति में निहित हैं या नहीं, अंततः उक्त मुक़दमे में निर्धारित किया जाना है। दीवानी मुक़दमे में निर्णय पक्षकारों के बीच अधिकार, स्वामित्व या ब्याज के सवाल पर बाध्यकारी होगा।यह विभाजन के मुकदमे में संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व और हित निर्धारित करने के लिए एक दीवानी अदालत का अधिकार क्षेत्र है।

बी.

सी.

21. प्रत्यर्थी नं.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 के तहत दायर याचिका के पैराग्राफ 23 में निम्नानुसार अनुरोध किया गया थाः

डी.

“23. 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में भारतीय आर्थिक नीतियों में उदारीकरण में वृद्धि देखी गई।विदेशी निवेशकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में व्यापार करने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था।इसी तरह, भारतीय व्यापारिक घराने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना प्रदर्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे।इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के पिता, 2000 या उसके आसपास, चाहते थे कि याचिकाकर्ता भारत के बाहर व्यापार करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करे और उसे उस दिशा में प्रोत्साहित करे। 2001 में या उसके आसपास, याचिकाकर्ता ने ऑस्ट्रेलिया में अवसरों की तलाश शुरू की और अंततः अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए वहां चले गए। धीरे-धीरे, वह ऑस्ट्रेलिया में अपना व्यवसाय स्थापित करने में तेजी से शामिल हो गए।इसलिए, याचिकाकर्ता बनाने के बाद कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों में शामिल नहीं था।”

ई.

एफ.

यह प्रत्यर्थी सं. द्वारा स्वीकार किया जाता है।1 कि वह कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों में शामिल नहीं थे और 2001 में अपना स्वतंत्र व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए थे।उनकी शिकायत है कि परिवार ने उन्हें एक-चौथाई हिस्से के धारक के रूप में मान्यता नहीं दी थी।वे उनकी माँ श्रीमती अरुणा ओसवाल के स्वामित्व में पंजीकृत थे; वह भी उन्होंने उत्पीड़न के कार्य के रूप में प्रस्तुत किया था।दीवानी मुकदमा दायर करने के बाद उन्होंने 0.03% शेयर पूंजी का अधिग्रहण किया, अन्यथा उनकी मेसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड में कोई हिस्सेदारी नहीं थी।

जी.

22. संग्रामसिंह पी. गायकवाड़ और ओआरएस. वी.शांतादेवी पी. गायकवाड़ (मृत) एल. आर. और अन्य के माध्यम से, (2005) 11 एस. सी. सी. 314, यह ए.

एच.

493

ए. आर. यू. एन. ए. ओसवाल बनाम पनकाज ओसवाल और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।] ए.

अभिनिर्धारित किया कि शेयरों की विरासत के बारे में विवाद प्रमुख रूप से एक नागरिक विवाद है और इसे उत्पीड़न और/या कुप्रबंधन के संबंध में विवाद नहीं कहा जा सकता है ताकि धारा 397 और 398 के तहत कंपनी न्यायालय की अधिकारिता को आकर्षित किया जा सके।धारा 397 के तहत शेयरों के स्वामित्व के सवाल पर निर्णय लेने पर विचार नहीं किया गया है।संबंधित भाग यहाँ नीचे निकाला गया हैः

बी.

“143. यह भी विवाद में नहीं है कि एफ. आर. जी. के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के रूप में उनके उत्तराधिकारी होने के उनके दावे से संबंधित मामला बड़ौदा दीवानी न्यायालय में 1991 के दीवानी मुकदमा संख्या 725 में निर्णय के लिए लंबित है।उन्होंने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संदर्भ में विरासत द्वारा 8000 शेयरों के संबंध में स्वामित्व का दावा किया। निर्विवाद रूप से, उक्त अधिनियम की धारा 15 के संदर्भ में वह प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है, लेकिन इसमें अपीलार्थीगण का तर्क है कि उक्त प्रावधान का धारा 5 (2) को ध्यान में रखते हुए कोई अनुप्रयोग नहीं है क्योंकि परिवार में विरासत ज्येष्ठाधिकार के नियम द्वारा शासित होती है।स्वामित्व का एक शुद्ध प्रश्न कंपनी अधिनियम की धारा 397 के तहत एक आवेदन के लिए अलग है, जिसके लिए ईमानदारी की कमी ही एकमात्र परीक्षा है।इसके

अलावा, अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि दीवानी अदालत का अधिकार क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है।(देखें द्वारका प्रसाद

सी.

डी.

अग्रवाल बनाम रमेश चंदर अग्रवाल (2003) 6 एस. सी. सी. 220)

144. पक्षों के बीच विरासत के अधिकार के संबंध में एक विवाद प्रमुख रूप से एक नागरिक विवाद है और इसे बहुसंख्यक शेयरधारकों द्वारा अल्पसंख्यक शेयरधारकों के उत्पीड़न और/या कुप्रबंधन के संबंध में एक विवाद नहीं कहा जा सकता है।"

ई.

(जोर दिया गया) उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि याचिका का आधार एक चौथाई हिस्सेदारी की विरासत के रूप में दावा है ताकि हिस्सेदारी का 10 प्रतिशत हो, जो अधिकार अधिनियम की धारा 241/242 के तहत कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, छूट की मांग करने वाली धारा 241 और 242 के तहत याचिका दायर करना एक गलत धारणा है, सबसे पहले, प्रत्यर्थी नं।1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71 में निहित प्रावधानों के अनुसार किए गए नामांकन को ध्यान में रखते हुए, उसे सिविल अदालत के समक्ष विरासत के अपने अधिकार को दृढ़ता से स्थापित करना होगा, जिस हद तक वह शेयरों का दावा कर रहा है।

एफ.

जी.

23. मेसर्स डेल एंड कैरिंगटन प्राइवेट में।(पी) लिमिटेड और एन. आर. बनामपी. के

प्रतापन और अन्य, ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 1624, कंपनी अधिनियम की धारा 397 और 398 के तहत याचिका पर विचार करने के लिए स्थान का प्रश्न,

एच.

1956, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 241 और 242 के समान सामग्री पर विचार किया गया।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि याचिका को बनाए रखने के लिए, याचिका दायर करने की तारीख को कंपनी में अपेक्षित संख्या में शेयर होने चाहिए।यह देखा गयाः

"32. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रतापन की माँ के नाम पर शेयरों की खरीद के संबंध में पूरी योजना का सुझाव स्वयं रामानुजम ने दिया था।उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कंपनी द्वारा शेयर प्रतापन और उनकी पत्नी के नाम पर हस्तांतरित किए जाएं।कंपनी ने स्थानांतरण को दर्ज किया है और इस ओर से अपने सदस्यों के रजिस्टर को सही किया है, जिसके कारण वास्तव में रामानुजम ने कंपनी अधिनियम की धारा 397/398 के तहत प्रतापन द्वारा दायर याचिका के जवाब में सदस्यों के रजिस्टर में सुधार के लिए याचिका दायर की। रामानुजम अब एफ. ई. आर. ए. के उल्लंघन का सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, विशेष रूप से उनके द्वारा कंपनी के रिकॉर्ड में प्रतापन और उनकी पत्नी पुष्पा के नाम पर शेयरों के हस्तांतरण को दर्ज करने के कारण।यह कंपनी लॉ बोर्ड के समक्ष धारा 397/398 याचिका दायर करने के लिए प्रतापन और उनकी पत्नी के स्थान के संबंध में आपत्ति का भी जवाब देता है।चूँकि वे याचिका दायर करने की तारीख को कंपनी के शेयरधारकों के रूप में पंजीकृत थे और उनके पास कंपनी में अपेक्षित संख्या में शेयर थे, वे याचिका को बनाए रख सकते थे।"

बी.

सी.

डी.

ई.

(बल दिया गया)

24. जे. पी. श्रीवास्तव एंड संस प्राइवेट लिमिटेड और ओ. आर. एस. बनाममेसर्स ग्वालियर शुगर कं. लिमिटेड और अन्य, ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 83, यह न्यायालय

धारा 397 और 398 के तहत याचिका पर विचार करने के लिए शेयरों का एक योग्य प्रतिशत निर्धारित करने के उद्देश्य पर विचार किया गया।यह अभिनिर्धारित किया गया कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे व्यक्ति तुच्छ मुकदमेबाजी में शामिल न हों, जिनकी कंपनी में कोई कानूनी हिस्सेदारी नहीं है।यदि न्यायालय संतुष्ट है कि याचिकाकर्ता अपेक्षित प्रतिशत रखने वाले शेयरधारकों के निकाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो न्यायालय मामले पर आगे बढ़ सकता है।इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

एफ.

जी.

“47. धारा 397 और 398 के तहत याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं और उनके समर्थकों में शेयरों का एक योग्य प्रतिशत निर्धारित करने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे व्यक्ति तुच्छ मुकदमेबाजी में शामिल न हों जिनकी कंपनी में कोई वास्तविक हिस्सेदारी नहीं है।हालांकि, यह दिलचस्प है कि अंग्रेजी कंपनी अधिनियम में ए शामिल है

एच.

495

ए. आर. यू. एन. ए. ओसवाल बनाम पनकाज ओसवाल और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।] ए.

ऐसी कोई सीमा नहीं।इन मामलों में एक व्यापक सामान्य दृष्टिकोण की आवश्यकता है।यदि न्यायालय संतुष्ट है कि याचिकाकर्ता अपेक्षित प्रतिशत रखने वाले शेयरधारकों के एक निकाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वह यह मान सकता है कि मुकदमेबाजी में कंपनी की भागीदारी हल्के में नहीं की गई है और उसे शिकायत किए गए मामलों को समाप्त करने के लिए आदेश पारित करना चाहिए और तकनीकी आवश्यकता पर इसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए।पदार्थ को रूप से अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए।बेशक, कुछ नियम हैं जो महत्वपूर्ण हैं और मामले की जड़ तक जाते हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है।अन्य ऐसे भी हैं जहाँ गैर-अनुपालन को माफ किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है।बाद के मामले में, नियम केवल निर्देशिका है बशर्ते कि समग्र रूप से पढ़े गए नियमों का पर्याप्त अनुपालन हो और कोई पूर्वाग्रह न हो।(प्रताप सिंह बनाम श्री कृष्ण गुप्ता, (ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 140) देखें।हमारे फैसले में, इस मामले में धारा 399 (3) और विनियमन 18 का काफी हद तक पालन किया गया है।”

बी.

सी.

(जोर दिया गया) तत्काल मामले में, उपरोक्त निर्णयों पर विचार करते हुए, हम संतुष्ट हैं कि प्रत्यर्थी नहीं।1, जैसा कि उसने अनुरोध किया था, उसका कंपनी के मामलों से कोई लेना-देना नहीं था और वह एक पंजीकृत मालिक नहीं है।प्रत्यर्थी सं. की संपत्ति/शेयरों में अधिकार, यदि कोई हो।1 दीवानी मुक़दमे में संरक्षित हैं।इस प्रकार, हम संतुष्ट हैं कि प्रत्यर्थी नहीं।1 कंपनी में अपेक्षित प्रतिशत शेयर रखने वाले शेयरधारकों के निकाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जो ऐसी याचिका को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

डी.

ई.

25. यह भी विवादित नहीं है कि उच्च न्यायालय ने लंबित दीवानी मुकदमे में शेयरधारिता और अन्य संपत्तियों से संबंधित यथास्थिति बनाए रखते हुए एक आदेश पारित किया। यथास्थिति आदेश के कारण, मुकदमे का अंतिम निर्णय होने तक शेयरों को श्रीमती अरुणा ओसवाल के नाम पर रखना पड़ता है।दीवानी मुकदमे में स्वामित्व अधिकारों का अंत में निर्णय लेने से पहले एनसीएलटी द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर शेयरधारिता के साथ व्यवहार करने के लिए दीवानी अदालत द्वारा पारित आदेश को देखते हुए यह उचित नहीं होगा, और औचित्य भी इसकी मांग करता है।अधिकार, अधिकार और हित का प्रश्न अनिवार्य रूप से पक्षों के बीच नागरिक अधिकारों का निर्णय है, क्योंकि एक दीवानी मुकदमे में नामांकन निर्णय का प्रभाव पक्षों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाला है।इन समानांतर कार्यवाहियों पर विचार करना और दीवानी मुकदमे के फैसले से पहले धारा 244 के तहत दावा की गई छूट देना उचित नहीं होगा।प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्वयं दीवानी मुकदमे के उपचार का लाभ उठाने का विकल्प चुना था, क्योंकि उसके बाद धारा 241 और 242 के तहत आवेदन दायर करना एक विचार के अलावा और कुछ नहीं है।

एफ.

जी.

एच.

26. अपीलार्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी नंबर 1, परिवार द्वारा अस्वीकृत एक असंतुष्ट बेटा, पिछले 25-30 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में बस गया।मान लीजिए कि उनका कंपनी के मामलों से कोई लेना-देना नहीं था।दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे ने जोरदार तर्क दिया कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रत्यर्थी नंबर 1 दुबई में है।जो भी हो सकता है।दिवंगत पिता या परिवार द्वारा केवल एक बेटे का त्याग करना, उसे उस संपत्ति में किसी भी अधिकार से वंचित नहीं करने वाला है जिसका वह कानून के अनुसार अन्यथा हकदार हो सकता है।प्रासंगिक प्रश्न की सुनवाई दीवानी मुकदमे में की जानी चाहिए और अंत में निर्णय लिया जाना चाहिए, यह एनसीएलटी द्वारा विचाराधीन कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता है।इसलिए, हम वर्तमान कार्यवाही में अपीलार्थीगण की ओर से उठाए गए उपरोक्त प्रश्न पर निर्णय लेने से बचते हैं।तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी संख्या 1 को धारा 241 और 242 के तहत शुरू की गई कुप्रबंधन के लिए कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना उचित नहीं होगा, वह भी

10 प्रतिशत हिस्सेदारी के अभाव में और दीवानी कार्यवाही में अपने अधिकारों को दृढ़ता से स्थापित करने के लिए जिस हद तक वह कंपनियों की हिस्सेदारी में दावा कर रहा है।

बी.

सी.

डी.

27. हम इन कार्यवाहियों में नामांकन के प्रभाव से संबंधित प्रश्न पर अंततः निर्णय लेने से बचते हैं, क्योंकि यह एक नागरिक विवाद होने के कारण, इन कार्यवाहियों में निर्णय नहीं लिया जा सकता है और निर्णय दीवानी मुकदमे में पक्षों के अधिकारों और हितों को खतरे में डाल सकता है।प्रतिभूतियों में अधिकार, स्वामित्व और ब्याज के विवाद के संबंध में, दीवानी न्यायालय का निष्कर्ष अंतिम और निर्णायक और पक्षों के लिए बाध्यकारी होने वाला है।इस तरह के प्रश्न के निर्णय को तत्काल कार्यवाही में टालना पड़ता है।एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा आदेशित अधिनियम की धारा 244 के प्रावधान के तहत प्रत्यर्थी को आवश्यकता से छूट देना मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित नहीं होगा।

ई.

एफ.

28. यह प्रथम दृष्टया उत्पीड़न और कुप्रबंधन का मामला प्रतीत नहीं होता है।कंपनी के कुछ लेन-देनों के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमारा ध्यान आकर्षित किया।सरल लेन-देन से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि यह उत्पीड़न और कुप्रबंधन का मामला है।

जी.

29. हमारी राय है कि अधिनियम की धारा 241 और 242 के तहत दायर एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि लंबित नागरिक विवाद और 0.03% की होल्डिंग की छोटी सीमा पर विचार करते हुए, वह भी, एक दीवानी मुकदमा दायर करने के बाद अधिग्रहित कंपनी प्रतिभूतियों में, प्रत्यर्थी संख्या।1.ए के तथ्यों और परिस्थितियों में

एच.

तत्काल मामले में, कार्यवाही को बनाए रखने के लिए, प्रत्यर्थी को विचाराधीन शेयरों से संबंधित दीवानी मुकदमे में अधिकार, स्वामित्व और ब्याज के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी।प्रत्यर्थी संख्या 1 की पात्रता लंबित नागरिक विवाद के बादल के तहत है।हम अधिनियम की धारा 241 और 242 के तहत उत्पीड़न और कुप्रबंधन के संबंध में एन. सी. एल. टी. के समक्ष दायर कार्यवाही को हटाने का निर्देश देना उचित समझते हैं, जिसमें सभी प्रश्नों पर नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता के साथ, आवश्यकता के मामले में, यदि मुकदमा प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में घोषित किया जाता है और प्रत्यर्थी संख्या 1 की हिस्सेदारी धारा 244 के तहत आवश्यक 10 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ जाती है।हम दोहराते हैं कि हमने सभी प्रश्नों को लंबित दीवानी मुकदमे में तय करने के लिए छोड़ दिया है।एन. सी. एल. टी. के साथ-साथ एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और उपरोक्त सीमा तक अपीलों की अनुमति दी जाती है।हम अनुरोध करते हैं कि दीवानी मुकदमे का फैसला यथासंभव शीघ्रता से किया जाए, बशर्ते प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा सहयोग किया जाए।पार्टियों को अपनी लागत वहन करनी होगी।

बी.

सी.

डी.

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.